बैठक कार्यवाही विवरण

श्री नारायण सिंह एवं श्री शंभू सिंह, निवासी–गाव–राजपूत बस्ती, कुभकोट, तहसील–रामगंजमंडी, जिला–कोटा (राज.) द्वारा प्रस्तावित परियोजना यथा "Lime Stone (Dimensional), Lime Stone (Dimensional waste), Masonry Stone & Murrum, Mining Project", M.L. No.- 04/2024, Ref- No. 202410000106399, Khasra No.-3296, area- 1.1286 Hectare, falling in cluster of area 9.2356 Hectare with proposed Production capacity 2,07,924 TPA (ROM) near Village- Julmi, Tehsil- Ramganjmandi, District- Kota, (Raj.) के **लिए पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् दिनांक 22 जुलाई 2025 को आयोजित जन सुनवाई की बैठक के कार्यवृत्त विवरण (मिनिट्स)।**

वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14/09/2006, क्षेत्रीय कार्यालय, कोटा के पत्र क्रमांक आर.पी.सी.बी./आर.ओ.कोटा/माईन्स–244/419 दिनाक 21/05/2025 व जिला कलक्टर, कोटा के आदेश क्रमांक–प.2(08075)राजस्व–II/जनसुनवाई/25/2772–80 दिनाक 13/06/2025 की अनुपालना में श्री नारायण सिंह एव श्री शंभू सिंह, निवासी–गाव–राजपूत बस्ती, कुंभकोट, तहसील–रामगंजमंडी, जिला–कोटा (राज.) द्वारा प्रस्तावित परियोजना यथा "Lime Stone (Dimensional), Lime Stone (Dimensional waste), Masonry Stone & Murrum, Mining Project", M.L. No.- 04/2024, Ref- No. 202410000106399, Khasra No.-3296, area-1.1286 Hectare, falling in cluster of area 9.2356 Hectare with proposed Production capacity 2,07,924 TPA (ROM) near Village- Julmi, Tehsil- Ramganjmandi, District- Kota, (Raj.) की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई दिनाक 22/07/2025 को "ग्राम पचायत भवन, जुल्मी" तहसील– रामगंजमण्डी, जिला–कोटा में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मडल, क्षेत्रीय कार्यालय, कोटा द्वारा श्री मुकेश कुमार चौधरी, अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन), कोटा की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

जन सुनवाई के लिए आम सूचना स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों 'द इंडियन एक्सप्रेस व सांध्य दैनिक इवनिंग न्यूज में दिनांक 20/06/2025, (परिशिष्ट–'अ') को प्रकाशित करवाई गई थी तथा जन सामान्य से आक्षेप/सुझाव सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर तक आमंत्रित किये गए थे।

जन सुनवाई में उपस्थित अधिकारी–गण व क्षेत्र के ग्राम वासी तथा अन्य की उपस्थिति पत्र मय हस्ताक्षर (परिशिष्ट–'ब'), जन सुनवाई की वीडियो रिकार्डिंग (परिशिष्ट–'स') एवं फोटोग्राफ्स (परिशिष्ट–'द') सलग्न है।

बैठक की कार्यवाही को आरंभ करते हुए श्रीमती योग्यता सिंह, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटा ने सभी आगन्तुकों का स्वागत किया।

योग्यता

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण
नियन्त्रण मण्डल, कोटा

(मुकेश कुमार चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटा

तत्पश्चात् क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, कोटा द्वारा अध्यक्ष महोदय से जन सुनवाई प्रारंभ करने हेतु मार्गदर्शन व अनुमति प्रदान करने हेतु निवेदन किया गया। अध्यक्ष महोदय द्वारा जन सुनवाई प्रारंभ करने हेतु निर्देशित किया गया ।

श्रीमती योग्यता सिंह ने खनन परियोजना के तकनीकी सलाहकार मैसर्स वितास्ता एनवायरो सर्विसेज प्रा. लि. के प्रतिनिधि को प्रस्तावित परियोजना के बारे में एलईडी टीवी के माध्यम से विस्तृत जानकारी देने हेतु आमंत्रित किया।

इसके बाद पर्यावरणीय सलाहकार ने परियोजना से संबंधित निम्नलिखित विवरण विस्तार पूर्वक प्रस्तुत किए।

परियोजनाओं का परिचय, परियोजनाओं का प्रस्ताव, परियोजनाओं की भौगोलिक स्थिति, कलस्टर नक्शा, नकल व खसरा नक्शा, खदान पर जाने का रास्ता, सामान्य विवरण, जलवायु विज्ञान, सामाजिक स्थिति विवेचन, स्थानीय भू–गर्भ शास्त्र, जल निकासी, भू–वैज्ञानिक एवं खनन योग्य भण्डारण, खनन की आयु, खनन का उपयोग, खनिज का उपयोग, खनन विधि, मशीनरी का विवरण, रोजगार की संभावना, योजना की अवधि के अन्त में भूमि का उपयोग, अध्ययन क्षेत्र के पर्यावरण विश्लेशण के परिणाम, पारिस्थतिकी एवं जैव विविधता अध्ययन, सामाजिक, आर्थिक, जनसंख्या, वातावरण, अनुमानित पर्यावरण अपेक्षित प्रभाव एवं उनके अल्पीकरण के उपाय, पर्यावरण मापदण्डो की निगरानी कार्यक्रम, पर्यावरण संरक्षण हेतु बजट, प्रस्तावित वृक्षारोपण का विवरण, व्यवसायी/कॉपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, कलस्टर क्षेत्र के 10 किलोमीटर बफर जोन की जानकारी, वायु प्रदूषण व नियत्रंण के उपाय व जल की गुणवत्ता का प्रबंध, ध्वनि प्रदूषण व ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण उपाय के बारे में विस्तृत रूप से एलईडी टीवी के माध्यम से जन सुनवाई में उपस्थित जन–समुदाय को बताया गया।

श्रीमती योग्यता सिंह, क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटा द्वारा परियोजना प्रस्तावक को बताया गया कि प्रस्तावित खनन क्षेत्र का क्षेत्रफल कम होने के कारण खनन क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाना मुश्किल होता है, अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा संबंधित उपखंड अधिकारी/तहसीलदार से भूमि चिन्हित कर नियमानुसार सघन वृक्षारोपण किया जावें।

इसके पश्चात श्रीमती योग्यता सिंह, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटा ने उपस्थित ग्रामवासियों व जन समुदाय को उपरोक्त परियोजना के सम्बन्ध में आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत करने का आग्रह किया, साथ ही बताया की कोई भी उपस्थित नागरिक

योग्यता

क्षैत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण
नियन्त्रण मण्डल

(मुकेश कुमार चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटा

लिखित व मौखिक रूप से अपने सुझाव यहा दे सकते है। यहां पर उपस्थित कम्पनी प्रतिनिधि व तकनीकी सलाहकार उत्तर देंगे।

उपस्थित जन समुदाय, जन प्रतिनिधि गण एवं अन्य जनों ने अपने प्रश्न/संशय/आपत्तियाँ/सुझाव प्रस्तुत किये जिनका विवरण निम्नानुसार हैः–

1. **श्री हरजाराम, ग्राम–जुल्मी** :– श्री हरजाराम द्वारा बताया गया कि क्षेत्र के लोगों को खनन कार्यों से मजदूरी मिलती हैं, एवं सी.एस.आर. के कार्य भी कराये जाते हैं। क्षेत्र के राज मंदिर (राम मंदिर) में पीने के पानी की व्यवस्था करवाई जाए।

   श्री नारायण सिंह, परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि राज मंदिर (रान मंदिर) में वाटर कूलर लगा कर पीने के पानी की व्यवस्था की जाएगी।

2. **श्री जानकी लाल, ग्राम–जुल्मी** :– श्री जानकी लाल द्वारा बताया गया कि खनन क्षेत्र में एकत्रित जल कृषि हेतु उपलब्ध कराया जाता है, अतः परियोजना से कोई आपत्ति नहीं हैं।

उक्त लोक जन–सुनवाई के दौरान कोई भी लिखित प्रतिवेदन/सुझाव पत्र प्राप्त नहीं हुये हैं।

इसके पश्चात अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन), कोटा तथा क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटा द्वारा उपस्थित जन समुदाय का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए जन सुनवाई आयोजन की समाप्ति की घोषणा की गयी।

योग्यता

क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, कोटा

(श्रीमती योग्यता सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटा

(मुकेश कुमार चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन)
जिला–कोटा, राजस्थान

कोटा

उपस्थिति पत्रक

मैसर्स श्री नारायण सिंह एवं श्री शम्भू सिंह, निवासी–ग्राम–राजपूत बस्ती, कुम्भकोट, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज.) द्वारा प्रस्तावित खनन परियोजना यथा "Lime Stone (Dimensional), Lime Stone (Dimensional Waste), Masonry Stone & Murrum Mining Project" ML No.- 04 / 2024 Ref No.- 202410000106399, Khasra No.- 3296, Area- 1.1286 Hectare, falling in cluster of area 9.2356 Hectare with proposed production capacity 207924 TPA (ROM) near Village- Julmi, Tehsil- Ramganjmandi, District- Kota (Raj.) के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन), कोटा की अध्यक्षता में दिनांक 22.07.2025 को समय प्रातः 11:00 बजे "ग्राम पंचायत भवन, जुल्मी तहसील–रामगंजमण्डी, जिला–कोटा" में आयोजित जन सुनवाई की उपस्थिति पंजिका–

क. स.	नाम एवं पदनाम	कार्यालय / गाँव का नाम	हस्ताक्षर
1	मुकेश कुमार चौधरी	ADM (Administration)	[signature] 22.07.25
2	योग्यता सिंह	RO, RSPCB	योग्यता
3	अनुराग सिंह	AEE, RSPCB	[signature]
4	रमेश चन्द सुमन	पर्यावरण सलाहकार	[signature]
5	मिन्टू बैरवा	पर्यावरण सलाहकार	
6	[illegible] सिंह S/o शम्भू सिंह	जुलमी	[signature]
7	शम्भू सिंह S/o [illegible] सिंह	जुलमी	[illegible]
8	[illegible] सिंह S/o [illegible] सिंह	जुलमी	[illegible] सिंह
9			
10	नारायण सिंह S/o मोती सिंह शम्भू सिंह S/o मोती सिंह		नारायण सिंह
11	बालसिंह S/o [illegible] सिंह	जुल्मी	बालसिंह
12	प्रेमचन्द [illegible]	जुल्मी	[signature]
13	दिनेश कुमार [illegible]	जुल्मी	[signature]

क. स.	नाम एव पदनाम	कार्यालय / गॉव का नाम	हस्ताक्षर
14	पप्पु पारीधा पन्नालाल	जुल्मी	पप्पु
15	बापरंगा S/o मुरीलालजी	जुल्मी	बापरंगा
16	प्रकाश चन्द्र S/o गोपाल	जुल्मी	प्रकाश
17	भगवान सिंह S/o रघुवीर सिंह	जुल्मी	भगवान सिंह
18	जाकिर हुसैन पि. श्री अब्दुल गनी हाल मुकाम	जुल्मी	जाकिर हुसैन
19	बजरंगलाल S/o जगदीश	जुल्मी	बजरंग
20	नन्दलाल S/o कन्हैयालाल	जुल्मी	नन्दलाल
21	विक्रमसिंह S/o गंगासिंह	जुल्मी	[illegible]
22	श्यामलाल S/o ब्रजमोहन	जुल्मी	श्यामलाल
23	सुल्तानसिंह S/o कन्हैयालाल	जुल्मी	सुल्तानसिंह
24	गोविंद S/O राधाकिशन	जुल्मी	गोविन्द कुमार
25	प्रह्लादसिंह S/O नन्देसिंह	जुल्मी	प्रहलाद
26	गुलशन S/O रामचन्द्र	जुल्मी	Gulshan
27	सोनू S/O दुर्गालाल	जुल्मी	सोनू
28	ब्रिजेश S/O रामचन्द्र	जुल्मी	ब्रिजेश
29	जानकीलाल S/O मोडुलाल	जुल्मी	जानकीलाल
30	कृपालसिंह S/o देवसिंह	जुल्मी	कृपालसिंह
31	देवेन्द्र कुमार	जुल्मी	देवेन्द्र
32	ओमप्रकाश S/o बंशीलाल	जुल्मी	ओमप्रकाश
33	महेन्द्रसिंह S/o गोपालसिंह	जुल्मी	[illegible]

क्र. स.	नाम एवं पदनाम	कार्यालय / गाँव का नाम	हस्ताक्षर
34	राजेन्द्र सिंह S/o गोपालसिंह	जुल्मी	[illegible]
35	सुरेन्द्र सिंह S/o मेहरबानसिंह	जुल्मी	Surende
36	जगदीश कुमार S/o शिवराज जी	जुल्मी	जगदीशकुमार
37	रत्नाराम पुत्र मुन्नालाल	जुल्मी	रत्नाराम
38	जगदीश S/o भैरूलालजी	जुल्मी	जगदीश
39	रवि कुमार S/o रामरतन	जुल्मी	[illegible]
40	कालू S/o [illegible]	जुल्मी	Kallu
41	गोरधन S/o रामनारायण	जुल्मी	गोरधन
42	हरिशकुमार S/o बाबूलाल	जुल्मी	[illegible] 22/07/15
43	घनश्याम S/o पूरीलाल	जुल्मी	Ghanshyam
44	राहुल मालवीय रामूजी	जुल्मी	Rahul
45	हरीश मेघवाल भैरूलालजी	जुल्मी	हरीश
46	जीवन मेघवाल / बीरमजी	जुल्मी	जीवन
47	त्रिलोक S/o सत्यनारायणजी	जुल्मी	त्रिलोक
48	विनोद [illegible]	जुल्मी	विनोद
49	शिवलाल कालू शिवलाल	जुल्मी	कालू
50	गिरधीलाल देवीलाल	जुल्मी	गिरधीलाल
51	प्रकाश S/o हरीलाल	जुल्मी	प्रकाश
52	मोहित S/o सत्यनारायण	जुल्मी	Mohit
53	AJAY S/o PAPPULAL	Julmi	Ajay

to
for
,554

nomic
under-
sed by
Fina-
rmala
alla is
out re-
on be-
nipur,
to pay
other
vernor
ses for
scal at
₹1,528
l.
he let-
's rev-
no sig-
ood at
d may
meet
curity-

a
m

com-
nd re-
nt link
rs. The
ice to
ir first
Singh
appre-
M road
vealed
co-ac-
Laxmi
l said.
Laxmi
tly ar-
arket
Jaipur,

sident's Rule, Manipur m Centre as special aid

related objectives.

Bhalla is also understood to have pointed out that poor revenue collection has also been due to state spending on relief and law and order, adding that dues worth ₹300 crore are yet to be paid to the state by the MHA as reimbursement.

He told the ministry that the special assistance grant will also help the state give its share in various Centrally sponsored schemes and help in taking various developmental measures to the state's rural areas.

The Governor has also conveyed that the state was unable to claim funds under the 15th Finance Commission grants for local bodies from 2021-22, amounting to ₹629 crore, since elections could not be held for urban local bodies and Autonomous District Councils from 2020 and for Panchayati Raj institutions from 2022.

Last year, *The Indian Express* that ahead of the Union Budget presentation, the Manipur government had approached the Centre with a wishlist that included demand for additional funds over and above the 10% usually earmarked from gross budgetary support for northeastern states, financial support for 5,000 units of housing for violence-hit victims as a special project under PMAY, and enhanced allocation for security-related expenditure.

Former Manipur CM N Biren Singh last year sought a financial grant of ₹2,000 crore from the Centre as a special case, citing the loss of tax revenue due to security and economic challenges. In October 2023, Singh had also requested a 3-month advance of state's share in Central taxes to tackle the financial crisis.

Op Sindhu: Govt to evacuate Indians who wish to leave Israel

EXPRESS NEWS SERVICE
NEW DELHI, JUNE 19

A DAY after it launched the evacuation of Indians from Iran, the government Thursday decided to evacuate citizens who wished to leave Israel under Operation Sindhu. The evacuations come amid the rapidly intensifying conflict between Israel and Iran.

Citizens would first be moved from Israel through land borders and then brought by air to India, a MEA statement said.

"In view of the recent developments between Israel and Iran, the Government of India has decided to evacuate from Israel those Indian nationals who wish to leave. Their travel from Israel to India will be facilitated through the land borders and thereafter by air to India," it said.

The MEA said the Indian Embassy in Tel Aviv would make the required arrangements. It asked all Indian nationals to register themselves with the Embassy at (indembassyisrael.gov.in/indian_national_reg), if not already registered. "In case of any queries, they may contact the 24/7 Control Room established at Embassy of India, Tel Aviv: telephone numbers: +972 54-7520711; +972 54-3278392; email: cons1.telaviv@mea.gov.in," it said.

The Embassy also reiterated its earlier advisories urging all Indians in Israel to remain vigilant and follow safety guidelines. At least 639 people, including 263 civilians, have been killed in Iran, according to a Washington-based Iranian rights group.

कॉनकॉर CONCOR
A Navratna Company

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड
Container Corporation of India Ltd.
(भारत सरकार का उपक्रम) (A Govt. of India Undertaking)
(A Navratna Company)
ICD, Tughlakabad, New Delhi-110 020

PUBLIC AUCTION/TENDER NOTICE
DISPOSAL OF UNCLEARED/UNCLAIMED IMPORTED CARGO THROUGH E- AUCTION

Container Corporation of India Ltd. shall be auctioning scrap items, empty damage containers and unclaimed/uncleared imported cargo landed at the terminals of Area 1 those containers arrived on or before 31-03-2025 through e-auction on **30.06.2025** on **"AS IS WHERE IS BASIS"**. All details **along with Terms & Conditions of auction sale & cargo details will be available on** www.concorindia.co.in & www.mstcecommerce.com **w.e.f. 20.06.2025.** All importers including Government Undertakings/Departments whose containers/goods are lying unclaimed/uncleared and falling in the said list uploaded in website at respective terminals, because of any dispute, stay by Court/ Tribunal/others or any such reason may accordingly inform the concerned Executive Director at Area 1 CONCOR as well as Commissioner of Customs of the concerned Commissionaires, and file their objections/claims regarding disposal of such goods within **7 (Seven Days)** of this notice failing which the goods will be auctioned on **"AS IS WHERE IS BASIS"** without any further notice. For full details please log on to www.concorindia.co.in & www.mstcecommerce.com

Executive Director, Area 1

कॉनकॉर CONCOR
A Navratna Company

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड
Container Corporation of India Ltd.
(भारत सरकार का उपक्रम) (A Govt. of India Undertaking)
NSIC New MDBP Building, 2nd Floor, Okhla Indl. Estate
(Opp. NSIC Okhla Metro Station), New Delhi-110020

NOTICE INVITING E-TENDER

Tender No	**CON/MIS/Area-2/E-94251/2025/01**
Name of Work	Open Tender in Two Bid System for On-premise turnkey-based AMC of hardware, software, and network along with O&M and ATS support for three years at Disaster Recovery Site at Mihan, Nagpur.
Estimated Cost	Rs.22,01,23,260/-
Contract Period	Three years AMC Contract Period
Performance Security	5% of contract value
Earnest Money Deposit	Rs. 5,00,000/- (Five lakhs) through e-payment
Cost of Document	Rs.1,000.00/- inclusive of all taxes and duties through e-payment
Tender Processsing Fee	Rs.3,000.00/- plus taxes as applicable. (Non-refundable) through e-payment
Date of Sale (Online)	From 20.06.2025 1100 hrs. to 10.07.2025 (up-to 1700 hrs.)
Date & Time of Submission of tender	11.07.2025 upto 1700 hrs.
Date & Time of opening of tender	14.07.2025 at 1130 hrs.

COEP Technological University (COEP Tech)
A Unitary Technological University of Government of Maharashtra
(Formerly College of Engineering Pune (COEP))
Wellesley Road, Shivajinagar, Pune - 411 005, Maharashtra, India
Ph - 020-25507009 / 7035 Website - www.coeptech.ac.in

Admission Notice for First Year M. Tech, M. Planning Programmes for the Academic Year 2025-26

COEP Technological University Pune (COEP Tech) is inviting applications from aspiring candidates for the admission to First Year M. Tech (various specializations) and M. Planning programme for Maharashtra / OMS / CIWGC / OCI / PIO / FN / NRI category students for the Academic Year 2025-26. For further details, please visit the university website, to the link given below:
https://www.coeptech.ac.in/admission/post-graduate/

Date : 20/06/2025 **Registrar**

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
प्लॉट-2 (ए), रोड नं. 6, इन्द्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र, कोटा -324004
E-mail:- rorpcb.kota@gmail.com ☎0744-2490873

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14/09/2006 के प्रावधानों के अंतर्गत श्री नारायण सिंह एवं श्री शंभू सिंह, निवासी-गांव-राजपूत बस्ती, कुंभकोट, तहसील-रामगंजमंडी, जिला-कोटा (राज.) द्वारा प्रस्तावित परियोजना यथा Lime Stone (Dimensional), Lime Stone (Dimensional waste), Masonry Stone & Murrum, Mining Project", M.L.. No.- 04/2024, Ref- No. 202410000106399, Khasra No.-3296, area- 1.1286 Hectare, falling in cluster of area 9.2356 Hectare with proposed Production capacity 2,07,924 TPA (ROM) near Village- Julmi, Tehsil- Ramganjmandi, District- Kota, (Raj.)" हेतु प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये गये है।

चूंकि, श्री नारायण सिंह एवं श्री शंभू सिंह द्वारा प्रस्तावित खनन परियोजना यथा "Lime Stone (Dimensional), Lime Stone (Dimensional waste), Masonry Stone & Murrum, Mining Project", M.L. No. 04/2024, Ref- No. 202410000106399, Khasra No.-3296, area 1.1286 Hectare, falling in cluster of area 9.2356 Hectare with proposed Production capacity 2,07,924 TPA (ROM) near Village- Julmi, Tehsil- Ramganjmandi, District- Kota, (Raj.)" के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में जन सुनवाई हेतु आवेदन मय दस्तावेजों के राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। और चूंकि, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना बाबत भारत सरकार के पर्यावरण, वन, एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14/09/2006 के प्रावधानों के अनुसरण में जनं सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।

उक्त परियोजना से संबधित पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन रिपोंट एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार निम्न कार्यालयों मे उपलब्ध हैं:-
(1) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4-संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
(2) पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय जयपुर।
(3) कार्यालय जिला कलक्टर, कोटा।
(4) क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, A-218, अरण्य भवन, झालाना डूंगरी, जयपुर।
(5) क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटा।
(6) जिला उद्योग केन्द्र, कोटा।
(7) कार्यालय जिला परिषद, कोटा।
(8) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी, जिला कोटा।
(9) कार्यालय पंचायत समिति खैराबाद, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा।
(10) कार्यालय ग्राम पंचायत-जुल्मी, पंचायत समिति खैराबाद, तहसील-रामगंजमण्डी, जिला-कोटा।

अतः सर्व साधारण को इस नोटिस के माध्यम से एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि वे उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबधित प्रकरण के निपटारे के लिए जन सुनवाई हेतु दिनांक 22.07.2025 को "ग्राम पंचायत भवन, जुल्मी' तहसील- रामगंजमण्डी, जिला-कोटा में समय प्रातः 11:00 बजे उपस्थित होकर अपने सुझाव/आक्षेप, कोविड़-19 के सन्दर्भ में जारी गाईडलाइन की पालना सुनिश्चित करते हुए, प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस संबंध मे लिखित सुझाव/आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस की अवधि में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, कोटा, प्लॉट-2(ए), रोड नं. 6, इन्द्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र, कोटा (E-mail:- rorpcb.kota@gmail.com) के साथ-साथ मुख्यालय, 4-संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर मे भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

आज्ञा से
हस्ता/-
(योग्यता सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी

...का आगाज
...योग के गुर

...निशिकांत सिन्हा, रेम प्रमुख पंजाब नेशनल बैंक, अमोलक देवी पूर्व पार्षद प्रशांत जैन ने ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का प्रारंभ किया।योग गुरू मनीष जैन ने प्रथम दिन प्रार्थना से लेकर सुक्ष्म व्यायाम, आसान, शुद्धि क्रिया, प्राणायाम, ध्यान, भ्रदासन, ताड़आसन, वृक्षासन, व्रजासन,शवासन,पवनमुक्त आसान संकल्प आदि क्रियाएं करवाई गई। सकल जैनसमाज मुख्य संयोजक जे के जैन ने बताया कि बच्चों से बडो तक ने सीखा शिविर के प्रथम दिन लोगो में उत्साह दिखा। योग के प्रति लोगो में जागरूकता थी। बच्चो से लेकर बुजुर्गो ने बढ़चढ़ कर योग शिविर का हिस्सा बने और विभिन्न आसनों को सीखा।विभिन्न आसानो को लाभार्थिओ ने सीखा और उनके गुणो पर भी शिविर में चर्चा की गई। हर आसन के महत्व व प्रभाव को योग गुरू मनीष जैन ने लाभार्थिओ के साथ साझा किया। बच्चे ताड़आसन कर अपनी लम्बाई बढाने हेतु योग क्रिया कर रखे थे तो बुजुर्गो ने हास्यआसन कर प्रफुल्ता प्राप्त कर रहे थे। 55 मिनट तक सभी ने मनोयोग से योग किया। कार्यक्रम संयोजक राजेश जैन अरिहंत ने बताया कि इस योग महोत्सव में जैन सोशल ग्रुप, रोटरी क्लब, लायंस क्लब, भारत विकास परिषद, इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस,दि.जैन सोशल ग्रुप अनुभव,आगम, जीतो सहित 30 से अधिक सामाजिक संस्थाएँ सक्रिय सहभागिता करेंगी।योगाचार्य मनीष जैन ने कहा, फ़योग केवल व्यायाम नहीं, यह शरीर, मन और आत्मा के संतुलन का विज्ञान है।

गरीबों को सस्ता न्याय सुलभ हो: दुष्यंत सिंह

बारां.

सांसद दुष्यंत सिंह ने कहा की गरीब और पिछड़े वर्गो को सस्ता न्याय सुलभ हो, इसके लिए अधिवक्ताओं को अपनी ज़िम्मेदारी निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि वकालत एक पवित्र पेशा है और इसकी गरिमा कायम रखनी ही होगी। सांसद सिंह शुक्रवार को बारां जिला न्यायालय परिसर में अभिभाषक परिषद की ओर से आयोजित संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अभिभाषकों को कार्य करने के लिए स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण मिले इसके लिए वह सहयोगी की भूमिका निभाने के लिए तत्पर हैं। उन्होंने अभिभाषक परिषद के अध्यक्ष कमलेश दुबे के अनुरोध पर सभागार के निर्माण के लिए भी 10 लाख रुपए की राशि सांसद कोश से स्वीकृत करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर विधायक राधेश्याम बैरवा ने अभिभाषक परिषद को विधायक कोष से दस लाख रुपए की स्वीकृति के पत्र की प्रति सौंपी।

अभिभाषक परिषद के अध्यक्ष कमलेश दुबे, महासचिव शैलेष मेहता, अमरदीप सिंह केदाहेड़ी, लोक अभियोजक श्याम पालीवाल, अरविंद त्यागी, मदन मोहन नागर व ललित नागर आदि ने सांसद का पुष्पाहार से भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर एडीजे प्रमोद शर्मा, पारिवारिक न्यायालय के न्यायाधीश शिवचरण मीणा, सीजेएम कान्हा राम मीणा एवं एसीजेएम अनिल परवानी भी मौजूद रहे।

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
प्लॉट-2 (ए), रोड नं. 6, इन्द्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र, कोटा -324004
E-mail:- rorpcb.kota@gmail.com ☎0744-2490873

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14/09/2006 के प्रावधानों के अंतर्गत श्री नारायण सिंह एवं श्री शंभू सिंह, निवासी-गांव-राजपूत बस्ती, कुंभकोट, तहसील-रामगंजमंडी, जिला-कोटा (राज.) द्वारा प्रस्तावित परियोजना यथा Lime Stone (Dimensional), Lime Stone (Dimensional waste), Masonry Stone & Murrum, Mining Project", M.L.. No.- 04/2024, Ref- No. 202410000106399, Khasra No.-3296, area- 1.1286 Hectare, falling in cluster of area 9.2356 Hectare with proposed Production capacity 2,07,924 TPA (ROM) near Village- Julmi, Tehsil- Ramganjmandi, District- Kota, (Raj.)" हेतु प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये गये है।

चूंकि, श्री नारायण सिंह एवं श्री शंभू सिंह द्वारा प्रस्तावित खनन परियोजना यथा "Lime Stone (Dimensional), Lime Stone (Dimensional waste), Masonry Stone & Murrum, Mining Project", M.L. No. 04/2024, Ref- No. 202410000106399, Khasra No.-3296, area 1.1286 Hectare, falling in cluster of area 9.2356 Hectare with proposed Production capacity 2,07,924 TPA (ROM) near Village- Julmi, Tehsil- Ramganjmandi, District- Kota, (Raj.)" के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में जन सुनवाई हेतु आवेदन मय दस्तावेजों के राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। और चूंकि, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना बाबत भारत सरकार के पर्यावरण, वन, एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14/09/2006 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।

उक्त परियोजना से संबधित पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन रिपोंट एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार निम्न कार्यालयों मे उपलब्ध हैं:-
(1) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4-संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
(2) पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय जयपुर।
(3) कार्यालय जिला कलक्टर, कोटा।
(4) क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, A-218, अरण्य भवन, झालाना डूंगरी, जयपुर।
(5) क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटा।
(6) जिला उद्योग केन्द्र, कोटा।
(7) कार्यालय जिला परिषद, कोटा।
(8) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी, जिला कोटा।
(9) कार्यालय पंचायत समिति खैराबाद, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा।
(10) कार्यालय ग्राम पंचायत-जुल्मी, पंचायत समिति खैराबाद, तहसील-रामगंजमण्डी, जिला-कोटा।

अत: सर्व साधारण को इस नोटिस के माध्यम से एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि वे उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबधित प्रकरण के निपटारे के लिए जन सुनवाई हेतु दिनांक 22.07.2025 को "ग्राम पंचायत भवन, जुल्मी' तहसील- रामगंजमण्डी, जिला-कोटा में समय प्रातः 11:00 बजे उपस्थित होकर अपने सुझाव/आक्षेप, कोविड़-19 के सन्दर्भ में जारी गाईडलाइन की पालना सुनिश्चित करते हुए, प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस संबंध मे लिखित सुझाव/आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस की अवधि में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, कोटा, प्लॉट-2(ए), रोड नं. 6, इन्द्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र, कोटा (E-mail:- rorpcb.kota@gmail.com) के साथ-साथ मुख्यालय, 4-संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर मे भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

आज्ञा से
हस्ता/-
(योग्यता सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी

नकली ऑर्गेनिक खाद निर्माता कंपनी

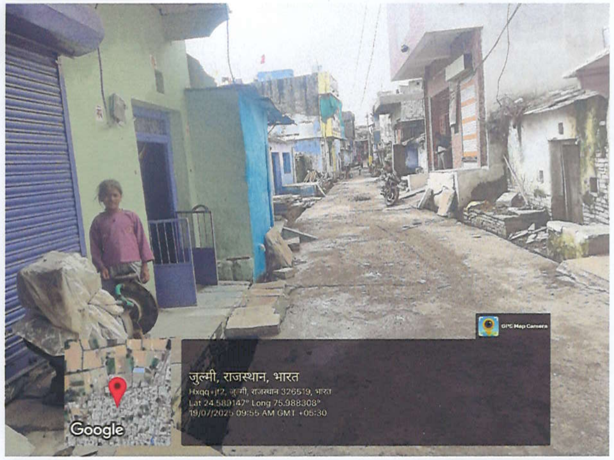
GPS Map Camera
जुल्मी, राजस्थान, भारत
Hxqq+jf2, जुल्मी, राजस्थान 326519, भारत
Lat 24.589147° Long 75.988308°
19/07/2025 09:55 AM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Julmi, Rajasthan, India
Hxpq+fj7, Julmi, Rajasthan 326519, India
Lat 24.586284° Long 75.988858°
18/07/2025 05:23 PM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
जुल्मी, राजस्थान, भारत
Hxqq+jf2, जुल्मी, राजस्थान 326519, भारत
Lat 24.589139° Long 75.98832°
19/07/2025 09:56 AM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
जुल्मी, राजस्थान, भारत
Hxqq+mq5, जुल्मी, राजस्थान 326519, भारत
Lat 24.589307° Long 75.988888°
19/07/2025 09:53 AM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
जुल्मी, राजस्थान, भारत
Hxpr+62c, जुल्मी, राजस्थान 326519, भारत
Lat 24.585572° Long 75.990293°
18/07/2025 05:18 PM GMT +05:30
Google

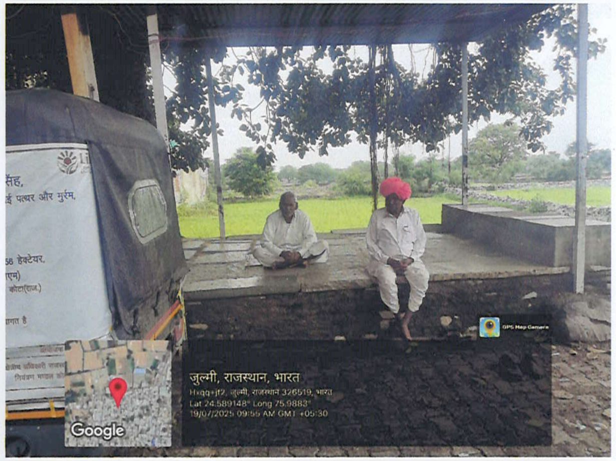
GPS Map Camera
जुल्मी, राजस्थान, भारत
Hxqq+jf2, जुल्मी, राजस्थान 326519, भारत
Lat 24.589148° Long 75.9883°
19/07/2025 09:55 AM GMT +05:30
Google

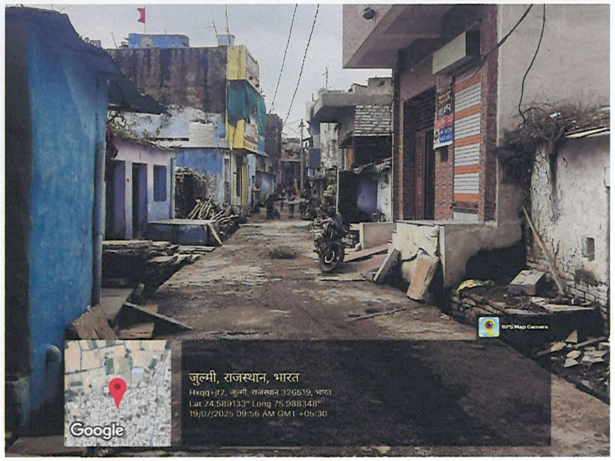
GPS Map Camera
जुल्मी, राजस्थान, भारत
Hxqq+jf2, जुल्मी, राजस्थान 326519, भारत
Lat 24.589133° Long 75.988348°
19/07/2025 09:56 AM GMT +05:30
Google

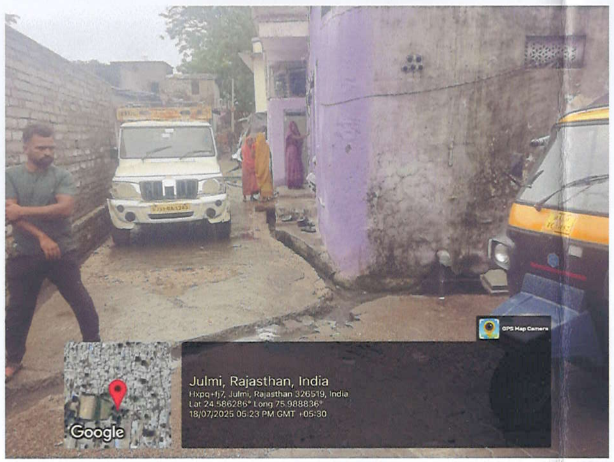
GPS Map Camera
Julmi, Rajasthan, India
Hxpq+fj7, Julmi, Rajasthan 326519, India
Lat 24.586286° Long 75.988836°
18/07/2025 05:23 PM GMT +05:30
Google

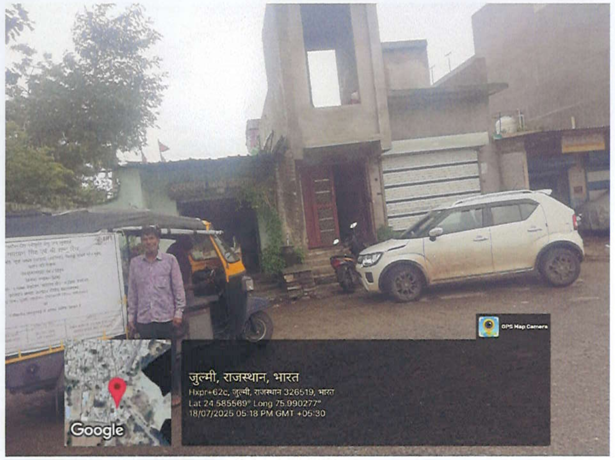
GPS Map Camera
जुल्मी, राजस्थान, भारत
Hxpr+62c, जुल्मी, राजस्थान 326519, भारत
Lat 24.585569° Long 75.990277°
18/07/2025 05:18 PM GMT +05:30
Google

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई
श्री नारायण सिंह एवं श्री शम्भू सिंह,
चूना पत्थर (आयामी), चूना पत्थर (आयामी अपशिष्ट), चिनाई पत्थर और मुर्रम,
खनन परियोजना
एम.एल.संख्या 04/2024
खसरा संख्या–3296
क्षेत्रफल– 1.1286 हेक्टेयर, क्लस्टर क्षेत्रः–9.2356 हेक्टेयर,
उत्पादन क्षमता 207924 टीपीए (आरओएम)
निकट ग्राम– जुल्मी, तहसील– रामगंजमंडी जिला– कोटा(राज.)
की
पर्यावरणीय जनसुनवाई में आपका हार्दिक स्वागत है
LiFE

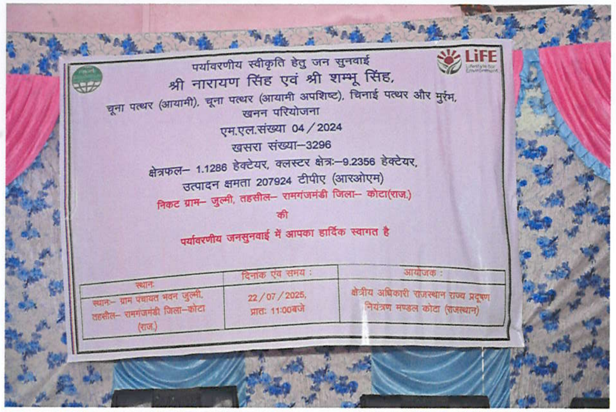
पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई
श्री नारायण सिंह एवं श्री शम्भू सिंह,
चूना पत्थर (आयामी), चूना पत्थर (आयामी अपशिष्ट), चिनाई पत्थर और मुरंम,
खनन परियोजना
एम.एल.संख्या 04 / 2024
खसरा संख्या–3296
क्षेत्रफल– 1.1286 हेक्टेयर, क्लस्टर क्षेत्र:–9.2356 हेक्टेयर,
उत्पादन क्षमता 207924 टीपीए (आरओएम)
निकट ग्राम– जुल्मी, तहसील– रामगंजमंडी जिला– कोटा(राज.)
की
पर्यावरणीय जनसुनवाई में आपका हार्दिक स्वागत है
स्थान:
स्थान:– ग्राम पंचायत भवन जुल्मी, तहसील– रामगंजमंडी जिला–कोटा (राज.)
दिनांक एवं समय :
22 / 07 / 2025, प्रातः 11:00बजे
आयोजक :
क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल कोटा (राजस्थान)
LiFE